कभी-कभी, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद, लावा का प्रवाह पर्वत की ढलान तथा आसपास की जगह को अपने घेरे में ले लेता है। जमीन के कुछ हिस्से, ऊँचे होने के कारण, लावा के विनाश से बच जाते हैं। जमीन के ऐसे टुकड़े पौधों, जानवरों तथा पक्षियों के लिये एक प्रकार से द्वीपों का रूप ले लेते हैं और इन सब के लिये आसरा बन जाते हैं। इन द्वीपों को ''कीपूका'' कहा जाता है। यह शब्द हवाई द्वीप की भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है- ''छेद'' या ''द्वार''। ये ''कीपूका'' हवाई द्वीप में खूब पाये जाते हैं, जहाँ ये पौधों तथा पशुओं के लिये ''बायलॉजिकल रैज़वॉयर्स'' की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ''कीपूका'' स्थानीय प्रजातियों को, हाल ही में क्षेत्र में आई बाहरी प्रजातियों से सुरक्षा एवं शरण भी प्रदान करते हैं। चारों तरफ बंजर जमीन से घिरे हुये यहाँ के मूल पौधों एवं पशुओं तक, वो नई प्रजातियां नहीं पहुंच पाती हैं, जो उनका स्थान ले सकें। इस प्रकार सबसे अलग रहने से स्थानीय प्रजातियों में कुछ विशिष्टताएं भी विकसित हो जाती हैं और नई प्रजातियाँ अस्तित्व में आ जाती हैं। जब कोई ''कीपूका'' बन जाता है तो, ऐसे पौधे एवं जीव, जो लम्बी दूरी तय नहीं कर सकते, वहीं रह जाते हैं और इनका जीन पूल भी सीमित हो जाता है। हवाई द्वीप समूह के सबसे प्रसिद्ध कीपूका का नाम ''कीपूकापूआऊलू'' है, जो ''बिग आइलैंड'' पर है। यह कीपूका मौनालोआ ज्वालामुखी के अनेक लावा प्रवाहों से बचा रहा है। इस समय यह हवाई द्वीप समूह की सर्वाधिक बायलॉजिकल विभिन्नताओं वाला स्थान है। यहां हवाई वॉल्कैनो नैशनल पार्क के किसी भी जंगल से ज्यादा प्रकार के स्थानीय वृक्ष देखे जा सकते हैं जिनकी प्रति एकड़ संख्या सर्वाधिक है।

मु.मंत्री केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच करेगी केन्द्र सरकार

मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अनुरोध को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार किया

नई दिल्ली, 18 फरवरी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास के दावों को गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खत के जवाब में मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बीते बुधवार को कुमार विश्वास ने दावा किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री या खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लिखे पत्र में उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि मामले को विस्तार से देखा जाए।

पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट में पत्र साझा करते हुए लिखा था, ''पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कुमार विश्वास के वीडियो के आधार पर मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाएं। राजनीति एक तरफ है पर पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है।''

■ गौरतलब है कि, बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के पुराने सहयोगी कुमार विश्वास ने दावा किया था कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री या खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं।

चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा है, ''एक राजनैतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं हैं। यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं।'' अमित शाह ने आगे कहा, ''इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता एवं अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यन्त गंभीरता से लिया है और स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा।''

गौरतलब है कि, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। इसके अलावा कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक बार मुझ से कहा था कि वे पंजाब के मुख्यमंत्री या खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं।

दस मार्च को कांग्रेस पार्टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे कि वे ही पार्टी के बॉस हैं। उनके व्यवहार ने उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को अलग-थलग कर दिया है। आशंका है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पार्टी को बड़ा झटका देंगे और पंजाब की हार तो और भी गहरा आघात पहुंचाएगी।

सूत्र बताते हैं कि पार्टी के कुछ चुनिंदा मुद्दों पर कठोर कार्रवाई की मांग करने वाला जी-23 गुट पार्टी संचालन, पूर्णकालिक नेतृत्व व पार्टी संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी पर सवाल खड़े करता रहा है। ऐसी संभावना है कि यह ग्रुप 10 मार्च के बाद के परिदृश्य में अपना अभियान तेज कर देगा तथा ऐसी आशंकाएं है कि विभिन्न राज्यों के बहुत से नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि गांधी परिवार इस चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रहा है क्योंकि ऐसा दिखाई ही नहीं देता कि वे अपनी सोच, अपनी कार्य-शैली तथा पार्टी के निर्णय लेने के मंच पर वरिष्ठ नेताओं को शामिल करना आदि मामलों में कोई परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। यह समाचार पार्टी के लिये बहुत अशुभ दिखाई दे रहा है क्योंकि देश तो चुनाव के मूड में बना ही रहेगा क्योंकि इन पाँच राज्यों के चुनावों के बाद जल्दी ही अन्य चुनाव भी होने वाले है।

इंडिगो एयरलाइंस के को-फाउण्डर ने कंपनी बोर्ड से इस्तीफा दिया

को-फाउण्डर राकेश गंगवाल ने कंपनी से अपनी फाइनैंशियल हिस्सेदारी भी धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला किया

नई दिल्ली, 18 फरवरी। शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए एयरलाइन कंपनी इंडिगो के को-फाउंडर और गैर-कार्यकारी निदेशक राकेश गंगवाल सबको चौंका दिया। दरअसल, गंगवाल ने कंपनी बोर्ड से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वे एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी भी कम करेंगे।

कंपनी के दूसरे को-फाउंडर राहुल भाटिया के साथ जारी विवाद के चलते उन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दिया है।

इंडिगो बोर्ड को लिखे एक पत्र में, गंगवाल ने कहा कि वह इंटरग्लोब में अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे अगले पांच से अधिक वर्षों में कम करने का इरादा रखते हैं। विमानन क्षेत्र के दिग्गज गंगवाल के पास इंटरग्लोब में 14.65 फीसदी और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल के पास 8.39 फीसदी हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में राकेश गंगवाल के हवाले से कहा गया कि ऐसे समय में जबकि नए निवेशकों को कंपनी के शेयर की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ होना चाहिए, मेरी हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी से मुझे कुछ लाभ मिल सकता है।

■ इंडिगो एयरलाइंस की मालिकाना हक वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में राकेश गंगवाल की 14.65 फीसदी और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल की 8.39 फीसदी फाइनैंशियल हिस्सेदारी है।

■ एक मीडिया रिपोर्ट में राकेश गंगवाल के हवाले से कहा गया है कि, ऐसे समय में जबकि नए निवेशकों को कंपनी के शेयर की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ होना चाहिए, मेरी हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी से मुझे भी कुछ लाभ मिल सकता है।

गौरतबल है कि गंगवाल ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जबकि भारतीय विमानन कंपनियां कठिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। गंगवाल इंडिगो एयरलाइंस की मालिकाना हक वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर थे। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि

'स्वीट आतंकवादी'

नई दिल्ली, 18 फरवरी (वार्ता)। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया का वह पहला ''स्वीट'' आतंकवादी हैं जो लोगों के लिए स्कूल-अस्पताल बनवाता है और बिजली ठीक करता है। केजरीवाल ने आज पंजाब के भटिंडा में संवाददाताओं से कहा कि पंजाब के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। सत्तर साल से इन सारी पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर पंजाब को लूटा है। पंजाब पर कर्जा चढ़ा दिया। पंजाब को घाटे में डाल दिया। पंजाब की रेता चोरी कर ली और पंजाब में नशा कर दिया। पंजाब के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। कहते हैं कि पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सवाल उठता है कि यह तीन लाख करोड़ रुपए गए कहां? इन्होंने तो कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल नहीं बनवाए, तो ये तीन लाख करोड़ रुपए कहां गए?

इकबाल कासकर गिरफ्तार

मुंबई 18 फरवरी (वार्ता)। दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के भाई इकबाल कासकर को ठाणे की जेल से हिरासत में लिया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इकबाल को शुक्रवार को यहां विशेष पी.एम.एल.ए. अदालत में पेश किया जाएगा।

गौरतलब है कि हाल ही में ई.डी. ने दाऊद इब्राहिम से संबंधित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें उसका भतीजा सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट भी शामिल था, जिसका गिरोहबाज छोटा शकील से घनिष्ट संबंध है। तलाशी के बाद सलीम फ्रूट को भी हिरासत में लिया गया और कई घंटों तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे जाने दिया गया।

■ मनी लॉण्डरिंग के मामले में ई.डी. ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ठाणे से गिरफ्तार किया।

सूत्रों ने कहा कि यह पूरा ऑपरेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज एक मामले पर आधारित है।

कैनेडा की सरकार हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक बैन करने की तैयारी में?

कैनेडा के सांसद जगमीत सिंह ने स्वास्तिक चिन्ह को नाजियों के प्रतीक चिन्ह के समान मानते हुये विधेयक पेश किया

ओटावा, 18 फरवरी। कैनेडाई सरकार हिंदू प्रतीक स्वास्तिक पर बैन लगाने की तैयारी में है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया लेकिन उससे पहले कैनेडा को कई तरह के विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस मसले पर विवाद तब शुरू हुआ जब स्वास्तिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कैनेडा की संसद में एक विधेयक लाया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या एन.डी.पी. के नेता जगमीत सिंह के समर्थन वाले निजी सदस्यों के बिल ने भारत-कनाडाई समुदाय को उग्र बना दिया है।

अमेरिका स्थित एक प्रमुख हिंदू संगठन ने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और बिल के समर्थन वाले भारतीय मूल के नेता जगमीत सिंह से आग्रह किया है कि वे हिंदुओं के लिए एक प्राचीन और शुभ प्रतीक स्वास्तिक को हकेनक्रेज के साथ न मिलाएं। हकेनक्रेज एक स्वास्तिक जैसा दिखने वाला प्रतीक है जो 20वीं सदी में नाजियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से कैनेडा में सैकड़ों ट्रक ड्राइवर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। कैनेडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों के ट्रकों ने जाम की स्थिति पैदा कर दी। इस प्रदर्शन में कथित रूप से स्वास्तिक और कॉन्फेडरेट झंडे (गोरे लोगों के वर्चस्व का प्रतीक, विरोध का प्रतीक) लहराए गए। इस घटना के बाद न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने 2 फरवरी को ट्वीट कर लिखा, स्वास्तिक और कॉन्फेडरेट झंडे का कैनेडा में कोई स्थान नहीं है। यह कैनेडा में नफरत के प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने का समय है। हमें साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में नफरत के लिए कोई जगह न हो।

■ अमेरिका स्थित एक प्रमुख हिंदू संगठन ने कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विधेयक प्रस्तुत करने वाले भारतीय मूल के नेता जगमीत सिंह से आग्रह किया है कि वे हिंदुओं के प्राचीन और शुभ प्रतीक स्वास्तिक की तुलना नाजी लोगों के प्रतीक हकेनक्रेज के साथ न करें।

दसवीं व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोजित करके, उन्हें राहत प्रदान की जाये।

याचिका में उल्लेखित प्रतिवादियों में शामिल सैकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एन.आई.ओ.एस.)।

याचिका में कहा गया है कि बोर्ड इस समय चल रही कोविड-19 की स्थिति को लेकर चुप्पी धारण किये हुये हैं तथा उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं तथा कक्षा-10 एवं 12 के परीक्षा परिणामों के संबंध में गंभीरतापूर्वक निर्णय नहीं लिया है। याचिका कहती है कि जहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बोर्डों ने परीक्षा-कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, वहीं अन्य राज्य एवं बोर्ड परीक्षा के आयोजन के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, ''विद्यार्थी राज्यों के बोर्डों तथा अन्य बोर्डों के इस प्रकार के व्यवहार से असंतुष्ट हैं। वे अपने भविष्य एवं कैरियर को लेकर बड़े तनाव एवं चिन्ता में हैं।'' याचिका में कहा गया है कि कक्षा-10 एवं 12 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन, पूरक परीक्षाओं तथा समय पर परीक्षा परिणाम घोषणा का फॉर्मूला तय करने के लिये एक कमेटी गठित कर दी जाये।

याचिका आगे कहते है, ''सभी राज्यों के विद्यार्थी कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बहुत चिन्तित हैं क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 का ग्रोथ-रेट बहुत ज्यादा है तथा महामारी की तीसरी लहर की प्रबल संभावना है, जिसका विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा तथा वे चिन्तित इसलिये भी हैं कि महामारी की स्थिति के कारण विद्यार्थियों के कोर्स भी पूरे नहीं हुये हैं।''

कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के खिलाफ हमलावर हुईं

कांग्रेस ने कहा कि, केजरीवाल अपने पुराने सहयोगी कुमार विश्वास द्वारा लगाये गये इतने गम्भीर आरोपों का जवाब देने से क्यों कन्नी काट रहे हैं

जालंधर 18 फरवरी (वार्ता)। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सहयोगी रहे कुमार विश्वास के आरोपों से केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं।

सुरजेवाला ने कहा कि कुमार विश्वास ने 16 फरवरी को आरोप लगाया कि केजरीवाल अलगाववादियों व खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर पंजाब पर राज और पंजाब के रास्ते केंद्र की सत्ता हासिल करना चाहते थे। केजरीवाल के इस षड्यंत्र का खुलासा कुमार विश्वास ने कर दिया है। कुमार विश्वास ने 17 फरवरी को एक बार फिर केजरीवाल को चुनौती भी दी कि वह जहां कहें, सबूत लेकर आ जाते हैं। अब केजरीवाल उनकी चुनौती को स्वीकार करने के बजाय मीडिया के सवालों से बचते हुए घूम रहे हैं।

■ गौरतलब है कि, कुमार विश्वास ने 17 फरवरी को एक बार फिर केजरीवाल को चुनौती भी दी है कि वे जहां कहें, वहां सबूत लेकर आ जाते हैं।

■ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि, कुमार विश्वास ने 16 फरवरी को आरोप लगाया कि, केजरीवाल अलगाववादियों व खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर पंजाब पर राज और पंजाब के रास्ते केंद्र की सत्ता हासिल करना चाहते थे।

सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लेत हुए कहा कि चुनाव आयोग ने कुमार विश्वास के मुख्य वीडियो व उनके द्वारा जारी की गई सामग्री को प्रकाशित व प्रसारित करने पर पहले प्रतिबंध लगाया। जब कुमार विश्वास ने इसका विरोध जताया तो आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पता चलता है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल सम्मिलित हैं। अगर केजरीवाल शामिल नहीं है तो वह सामने आकर जवाब देने से घबरा क्यों रहे हैं। कुमार विश्वास के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यह देश की सुरक्षा का मामला है। इस मामले में केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करके केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो एन.आई.ए. के जरिए केजरीवाल पर मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई कर सकती है।

पंजाब ने पहले ही काला दौर झेला है। अब अगर पंजाब इस प्रकार से बर्बाद करने और अलग करने की साजिशें चल रही हैं तो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने एच.एस. फूलका, सुच्चा सिंह छोटेपुर जैसे नेताओं को पार्टी में किनारे कर दिया।

ममता बनर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगे बढाया लेकिन पार्टी-प्रमुख ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। पार्टी के विभिन्न दिग्गज विवाद के परस्पर विपरीत पक्षों की ओर हो गये। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पार्टी में साफ-साफ दो फाड़ हो गये।

जनता में हुई इसकी आलोचना तथा पार्टी में पैदा हुये खुले मतभेदों का मुकाबला करते हुये, ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें चुनाव रणनीतिकार की कोई पूछ नहीं हुई तथा पार्टी के सभी पद रद्द कर दिये गये। जिनमें पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री महामंत्री का पद भी शामिल था।

एक अन्दरूनी मीटिंग में यह तय किया गया कि अखिल भारतीय महासचिव के पद को बहाल कर दिया जाये तथा इस पद पर फिर से अभिषेक को नियुक्त कर दिया जाये। और कोई नियुक्ति नहीं की गई, लेकिन कुछ नेताओं को विभिन्न दायित्व सौंप दिये गये। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ जाने-माने नेताओं को कुछ विशेष जिम्मेदारियों वाले पदों से हटा दिया गया तथा वही दायित्व अन्य लोगों को सौंप दिये गये। उदाहरणार्थ, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया से संवाद करने का कार्य डेरेक ओ-ब्रायन से ले लिया गया है। यह जिम्मेदारी अब महुआ मोइत्रा को सौंप दी गई हैं, जो अब तक ऐसे कार्यों से बिलकुल दूर रहा करती थी। वित्त मंत्री रह चुके अमित मित्रा, जो वित्त मंत्री से प्रमुख सलाहकार मात्र बनकर रह गये थे, को नई अर्थनीति प्रतिपादित करने तथा विदेशी मामलों में पार्टी के रूख का प्रतिपादक बना दिया गया है।

'यू.पी. सरकार सी.ए.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को वापस ले लिया गया था। प्रदेश सरकार का नया कानून ''उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेज़ टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट-2020'' सम्पत्ति को हुए नुकसान के दावों का निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को न्यायिक अधिकरण गठित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

शीर्ष अदालत ने गत 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह इन नोटिसों को वापस ले ले, अन्यथा वह उन्हें रद्द कर देगी। बैंच ने वर्ष 2009 और वर्ष 2018 के शीर्ष अदालत के फैसलों का उल्लेख करतेक हुए कहा कि दावा अधिकरणों में न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी जगह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए।

प्रसाद ने इस प्रकरण में आंदोलनकारियों की अटैच की गई सम्पत्तियों के संदर्भ में यथा स्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट निलोफर खान ने कहा कि इसमें सब्जी विक्रेता, रिक्शा चलाने वाले आदि कई लोग थे, जिनसे नोटिस जारी होने के बाद रिकवरी की गई और राज्य सरकार को इन नोटिसों को वापस लेने के बाद उनका पैसा रिफण्ड कर देना चाहिए।

तथापि जस्टिस चन्द्रचूड़ ने नुकसान का पैसा रिफण्ड करने पर यह कहते हुए एक ''परन्तु'' लगा दिया कि नए कानून के अनुसार यह दावा अधिकरणों के तहत ही किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिवक्ता के बार-बार यह अनुरोध करने पर कि राज्य सरकार कुछ सम्पत्तियों को पहले ही अपनी कस्टडी में ले चुकी है, इसलिए यथा स्थिति बने रहने दी जाए, जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि यदि सम्पत्तियों को निजी विरुद्ध अटैच किया गया है और उन्हें बहाल करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, तो अटैचमैन्ट कैसे जारी रह सकता है।

उन्होंने उनका यह तर्क भी खारिज का दिया कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता अभी लागू है। उन्होंने तपाक से कहा ''जब आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को क्रियान्वित करना है तो आदर्श आचार संहिता आपको कैसे रोक सकती है।''

प्रसाद ने यह उल्लेख करते हुए कि पिछले दो वर्षों में राज्य में संपत्ति अधिकारों के आदेश को लेकर कोई कानून नहीं हैं, कहा कि कोर्ट के आदेश का इसके निवारण पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कोर्ट उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई। उनके यह तर्क प्रस्तुत करने पर कि यदि रिफण्ड के आदेश दिए गए तो विधि ही विफल हो जाएगी, जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि ''आप एक नया कानून लेकर आए हैं, इसलिए कोई विधि विफल नहीं होगी। कानून से बचने के निवारण विधि के दायरे में ही होने चाहिए। ये उसके बाहर नहीं हो सकते।''

गैंगरेप पीड़िता की जयपुर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की तो उसकी पुलिस के साथ जमकर धक्कामुक्की हुई। गुस्साई भीड़ ने पुलिसकर्मियों को धकेलते हुए कोर्ट परिसर में प्रवेश कर लिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां तैनात सीआई मुकुटबिहारी मीणा और आंदोलनकारियों के बीच जमकर तनातनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने उपखण्ड कार्यालय के सामने ही धरना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने आगामी दो दिन में मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकाल के लिए डीडवाना बन्द की चेतावनी दी है। इस मामले में स्थानीय विधायक चेतन डूडी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस विधायक की शह पर ही आरोपियों को बचा रही है।

परिवार ने बताए आरोपियों के नाम, पर पुलिस ने नहीं की कार्यवाही : गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस की ढि लाई साफ तौर पर सामने आई है। डीडवाना सीआई द्वारा मामला दर्ज करने में देरी और उसके बाद पीड़िता को ढूंढने में बरती गई लापरवाही के कारण एसपी राममूर्ति जोशी ने सीआई नरेंद्र जाखड़ व जांच अधिकारी प्रह्लाद सिंह को सस्पेंड कर दिया। बताया जाता है कि पीड़ित परिवार ने घटना वाले दिन ही पुलिस को सूचना कर दी थी। पीड़ित परिवार ने अपनी रिपोर्ट में पीड़िता के अपहरण की आशंका जताते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे, इसके बावजूद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके इतिश्री कर ली और आरोपियों के नाम बताए जाने के बावजूद केवल दो आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब पीड़िता 10 फरवरी को घायल व अचेत अवस्था में मिली तब दो आरोपियों को पकड़ा गया।

'ट्रकों को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरफ तारों की फेंसिंग खड़ी कर दी है।

संसद के अंदर, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडू ने प्रदर्शनकारियों से घर चले जाने की अपील की। उन्होंने कहा, ''समय आ गया है कि ये गैर कानूनी और खतरनाक गतिविधियाँ ऑटवा सहित सभी जगह रुक जाएं। बहुत से प्रदर्शनकारियों ने कसम खा ली है कि वे वही बैठे रहेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार के निर्देश ट्रकों में रख देने के लिये हैं, ट्रकों के दरवाजे लॉक कर लो तथा उन्हें किसी के लिये मत खोलो, पुलिस के लिए भी नहीं। इन विरोध-प्रदर्शनों की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले उन ट्रक वालों ने की थी, जिन्होंने इस अनिवार्यता का विरोध किया था कि उन्हें अमेरिका-कैनेडा सीमा पार करने के लिये करोना रोधक टीका लगवाना होगा। दक्षिणपंथी ऐक्टिविस्टों की मदद से, इन प्रदर्शनों ने एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। यह आंदोलन मुख्यत: महामारी रोकने के उपायों तथा साथ ही ट्रू डू के खिलाफ भी है।

अजमेर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की जनरेशन यूनिट से लेकर अपनी विभिन्न यूनिट्स के लिए किया। इसे वर्ष 2004 में सम्पादित ''ओपन एक्सैस फैसिलिटी'' एग्रीमैन्ट कहा जाता है। हिन्दुस्तान ज़िंक को इसके तहत निगम की पावर सप्लाई लाइन्स के उपयोग के लिए भुगतान करना था। अजमेर डिस्कॉम (वितरण लायसैंसी) द्वारा एग्रीमैन्ट का उल्लंघन कर इसके बिल जारी करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908